(8)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/वि०3–14/2014 296 पटना, दिनांकः 27.11.19

कार्यालय आदेश

श्री अशोक रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्था, अरवल संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हिसुआ प्रखंड, नवादा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–536/गो० दिनांक–18.06.2015द्वारा गठित आरोपों के लिए संलग्न प्रपत्र 'क' के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–204 सहपठित ज्ञापांक–1281 दिनांक–14.08.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)अरवल तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल को नियुक्त किया गया।

श्री अशोक रजक के विरूद्ध इंदिरा आवास में रिश्वत की मॉग करने, अहस्ताक्षरित चेक काटकर गरीब लाभुकों को गुमराह करने, ठगी एवं जालसाजी करने से संबंधित आरोप गठित है जिसमें श्री अशोक रजक के विरूद्ध कुर्था थाना कांड संख्या 153 /2013 दिनांक–13.12.2013 धारा–420/465/471 IPC दर्ज किया गया है।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त पत्रांक–212/रा० दिनांक–19.04.2017 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया है :–

(i) <u>आरोप संख्या–1</u> भा०द०वि० के धारा 164 के तहत न्यायालय में दर्ज कराए बयान में श्री बुधन यादव एवं श्रीमती लक्ष्मीनिया देवी के द्वारा इंदिरा आवास योजना के नाम पर राशि देने का कोई चर्चा नहीं है। साथ ही उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल को दिनांक– 25.02.2014 को प्रेषित आवेदन पत्र में भी इंदिरा आवास योजना के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

इस प्रकार लगाए गए आरोप संबंधित व्यक्तियों (श्री बुधन यादव एवं श्रीमती लक्ष्मीनिया देवी) के द्वारा अपने पूर्व के बयान से मुकर जाने के कारण आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

(ii) <u>आरोप संख्या–2</u> आरोपी पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में अपनी पत्नी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर श्रीमती लक्ष्मीनिया देवी एवं श्री बुधन यादव से कर्ज के रूप में राशि लेने की बात स्वीकार की गई है एवं स्थानीय लोगों के दबाव में इन्होंने निजी चेक पर हस्ताक्षर की बात स्वीकार भी किया है तथा उक्त तथ्य की सम्पुष्टि न्यायालय में दर्ज कराए गए बयान से भी होता है।

(iii) <u>आरोप संख्या–3</u> आरोप का विषय–वस्तु आरोपी पदाधिकारी के आपराधिक प्रवृति के कृत्य से संबंधित है जिसके लिए परिवादी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों के बीच में कुछ पारस्परिक समन्वय थे। जिला पदाधिकारी के संज्ञान में आने के उपरान्त प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसका थाना कांड संख्या–153/2013, दिनांक–13.12.2013, U/S-420/465/471 IPC है , संप्रति मामला Sub-Judice है, अतः न्यायनिर्णय प्राप्ति के उपरान्त निर्णय लिया जाना श्रेस्यकर होगा । किन्तु बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली, 1976 के कंडिका 3(1) (iii) का उल्लघन प्रमाणित होता है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–02 एवं 03 प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–939 दिनांक–16.05.2017 द्वारा श्री अशोक रजक से द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन की मॉग की गयी । निदेशालय के पत्रांक–875 दिनांक–13.04.2018 एवं पत्रांक–745 दिनांक–05.04.2019 द्वारा स्मारित भी किया गया । अभ्यावेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में निदेशालय के पत्रांक–1297 दिनांक–09.07.2019 द्वारा तीन दिनों के अन्दर अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश देते हुए पुनः स्मारित किया गया । ज्ञातव्य है कि श्री अशोक रजक को अभ्यावेदन देने हेतु पत्र हाथों–हाथ भी प्राप्त कराया गया था । इतने स्मारों के बाद भी श्री अशोक रजक द्वारा जॉच प्रतिवेदन पर अब तक अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री अशोक रजक इस मामले में अपना अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं और उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

श्री अशोक रजक, कनीय सांख्यिकी सहायक पर गठित आरोप और संचालन प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आरोपी का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(iii) के प्रतिकूल है।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अशोक रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्था, अरवल संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हिसुआ प्रखंड, नवादा पर संचयी प्रभाव के साथ 3 (तीन) वेतनवृद्धि को रोकने दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्था, अरवल संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हिसुआ प्रखंड, नवादा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ 3 (तीन) वेतनवृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
राजेश्वर प्रसाद सिंह
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/वि०3–14/2014 2202 पटना, दिनांकः 27.11.19

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, अरवल को उनके पत्रांक–536/गो० दिनांक–18.06.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्था प्रखंड, अरवल/हिसुआ प्रखंड, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री अशोक रजक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हिसुआ प्रखंड, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0105 स्था० 1(का०आ०) (19 नबंवर 2019) अशोक रजक.

निदेशक 26/11